न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 39 / 2024 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 77), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

बदन सिंह पुत्र खरग सिंह जाति जाट नि0 ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर जिला डीग(राज0)

–वादी

बनाम

1. राजू
2. सुरेन्द्र सिंह } पुत्रगण स्व0 रामस्वरूप जाति जाट नि0 दांतलौठी तहसील जनूथर(डीग)
3. तहसीलदार तहसील जनूथर(भूमिधारी) प्रतिनिधि राज0 सरकार

– प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 48 व 88–89
आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 08.03.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 359 / 1.23, वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। वादी व प्रति0 संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है और आपस में चचेरे भाई है। प्रति0 संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता सिंह के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.23 हैक्टे0 का हि0 1/4 खातेदारी काश्तकारी वाके ग्राम जनूथर का था व वादी बदन सिंह के कब्जे काश्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 348 / 0.35, 351 / 0.37, 352 / 0.37 किता–3 रकबा 1.09 हैक्टे0 किस्म चा0दो का हि0 1 / 4 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर है। वादी व प्रति0 एक परिवार के सदस्य है और अपने अपने हिस्से की आराजी पर वादी व प्रति0 काबिज काश्त थे और वादी प्रति0 संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा एक आपसी एक्सचेंज डीड विनिमय पत्र तहरीर व तस्दीक तहसील जनूथर दिनांक 29.07.2015 को कराया गया और वादी द्वारा अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बरान 348 / 0.35, 351 / 0.37, 352 / 0.37 वाके ग्राम दांतलौठी तहसील जनूथर जो वादी की अन्य आराजी से काफी दूर थी और वादी को काश्त करने में काफी असुविधा होती थी तो वादी द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त आराजी का एक विनिमय पत्र प्रति0 संख्या 01 व 02 के पिता रामस्वरूप के हक में तहरीर व तस्दीक कराया गया और प्रति0 संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता सिंह द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर हि0 1 / 4 का वादी वदन सिंह के हक में तहरीर व तस्दीक दिनांक 29.07.2015 कराया गया।

आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर हि0 1 / 4 वाके ग्राम जनूथर पर प्रति0 संख्या 1 व 2 के पिता रामस्वरूप द्वारा दखल व कब्जा मौके पर वादी को दे दिया और तभी से वादी मुताविक विनिमय पत्र दिनांक 29.07.2015 के अनुसार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर वादी आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.23 हैक्टे0 का हि0 1 / 4 वाके ग्राम जनूथर पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रति0 का आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 359 / 1.23 हैक्टे0 का हि0 1 / 4 पर कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार का नहीं है। राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड ... अधिकारी
डीग (डीग) राज.

मुताबिक

अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान हाल आराजी स्थित ग्राम जनूथर तहसील जनूथर के आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 किस्म वा0प्र0 का हि0 1/4 पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो रहा है को कलमजन किया जाकर वादी को उक्त आराजी के हि0 1/4 पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.08.2024 को उभय पक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में वर्णित है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर है की हम प्रति0 के पिता रामस्वरूप पुत्र तोता के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 का हि0 1/4 खातेदारी काश्तकारी वाके ग्राम जनूथर का दखल व कब्जा मौके पर वादी को दे दिया और तभी से वादी मुताविक विनिमय पत्र दिनांक 29.07.2015 के अनुसार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर वादी आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 का हि0 1/4 वाके ग्राम जनूथर पर काबिज काश्त है और बिना किसी रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। प्रति0 का आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 359/1.23 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर का हि0 1/4 पर कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार का नहीं है। राजीनामा वादी का दावा विरूद्व हम प्रति0 डिक्री फरमाये जाने में हम प्रति0 को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी अन्तर्गत धारा 48,88,89 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 28.08.2024 के आधार पर दावा वादी को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य/मुताविक राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 28.08.2024 से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 28.08.2024 निर्णय व डिक्री का जुज/भाग रहेगा। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner